दैनिक
विजयपथ समाचार
सत्य की राह पर...
DIGITAL EDITION

भोपाल, गुरूवार, 16 जुलाई 2020 | Web: http://vijaypathsamachar.com/ | Email: vijaypathsamachar@gmail.com | वर्ष 01 | अंक 01

नाबालिगों से यौन शोषण मामला: श्रीनगर से फ्लाइट से लाया गया भोपाल

यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां को भोपाल लाए पुलिस कर रही पूछताछ, कल करेंगे कोर्ट में पेश

भोपाल. नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण मामले में श्रीनगर में पकड़ा गया प्यारे मियां गुरुवार दोपहर को भोपाल लाया गया। पुलिस फ्लाइट के जरिए प्यारे को कड़ी सुरक्षा में साढ़े 3 बजे लेकर यहां पहुंची। रास्तेभर प्यारे चुपचाप ही रहा। भोपाल एयरपोर्ट से पुलिस अभिरक्षा में उसे कंट्रोल रूम पहुंचाया गया। डीआईजी इरशाद वली ने बताया कि पूछताछ के बाद उसे शु वार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। इधर, अब वन विभाग की टीम भी प्यारे से पूछताछ की तैयारी कर रही है। उसके एक फ्लैट से पुलिस को सांभर के सींग मिले थे। ऐसे में अवैध शिकार से जुड़े होने की आंशका भी जताई जा रही है।

आष्टा में मिली कार, फ्लाइट से पहुंचा था श्रीनगर

पुलिस कार्रवाई के डर से प्यारे भोपाल छोड़कर फरार हो गया था। आष्टा में उसकी कार मिली थी। इसके बाद प्यारे के इंदौर में होने की संभावना बढ़ गई थी। एडीजी भोपाल रेंज उपेंद्र जैन ने बताया कि प्यारे आष्टा से प्राइवेट टैक्सी से इंदौर पहुंचा। यहां से वह फ्लाइट से मुंबई गया। मुंबई से दूसरी फ्लाइट से दिल्ली आ गया। फिर तीसरी फ्लाइट से सोमवार को श्रीनगर जा पहुंचा। पुलिस को प्यारे की लगातार लोकेशन तो मिल रही थी, लेकिन वह हर बार बदल रही थी। ऐसे में साइबर टीम को भी इस अभियान में जोड़ा गया। मंगलवार रात पुलिस को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्यारे की लास्ट लोकेशन मिली। उसके विदेश भागने की आशंका को देखते हुए पुलिस पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी थी। कश्मीर के श्रीनगर में स्थानीय पुलिस की मदद से प्यारे को एक होटल से बुधवार दोपहर हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद गुरुवार दोपहर 3.30 बजे भोपाल लाया गया। उधर, इंदौर में क्राइम ब्रांच प्यारे की संपत्ति के बारे में भी पता लगा रही है। प्यारे के अब तक दो शादी हॉल, दो फ्लैट और तीन मंजिला एक बिल्डिंग पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। इसके अलावा, राजधानी में श्यामला हिल्स, तलैया, कोहेफिजा, शाहपुरा, ऐशबाग और इंदौर में कुछ प्रॉपर्टी होने की जानकारी मिली है। ऐशबाग स्टेडियम के पास भी प्यारे के एक अन्य शादी हॉल को तोड़ा जा रहा है। पुलिस ने उसकी एक लग्जरी कार भोपाल के अपर लेक से लावारिस हालत में जब्त की, जबकि इसी तरह की दूसरी गाड़ी आष्टा में भी लावारिस हालत में मिली थी।

छह लड़कियों को पकड़े जाने से हुआ राजफाश

गौरतलब है कि शनिवार-रविवार की दरमियानी रात करीब दो बजे भोपाल के रातीबड़ थाना पुलिस ने दो स्कूटी पर सवार छह लड़कियों को रोका था। इनमे से पांच नाबालिग थी। शराब के नशे में होने के कारण पुलिस ने पूछताछ की थी। इस दौरान पता चला कि उनमें से एक किशोरी के साथ शाहपुरा इलाके के एक फ्लैट में प्यारे मियां द्वारा दुष्कर्म किया गया था, जबकि एक के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई थी। प्यारे मियां व उसके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही मामले की जांच एसआइटी को सौंप दी गई है।

पीड़ित किशोरियों के बयान दर्ज

दुष्कर्म के मामले में पहले ही पुलिस प्यारे मियां के ड्राइवर अनस खान और उसके भाई उवेश, स्वीटी विश्वकर्मा एवं राबिया को गिरफ्तार कर चुकी है। चारों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। उधर बुधवार को पुलिस ने फरियादी तीन किशोरियों के अदालत में धारा-164 के तहत बयान भी दर्ज करा दिए।

प्यारे मियां 35 साल पहले 400 रु महीने की नौकरी करता था

नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के आरोपी प्यारे मियां को भोपाल पुलिस कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार कर ले आई है। प्यारे के बारे में बताया जाता है कि करीब 35 साल पहले वह 400 रुपए महीने की नौकरी करता था। धीरे-धीरे उसने राजनीतिक लोगों से संपर्क बढ़ाने शुरू कर दिए और पत्रकार बन गया। बुधवारा स्थित हाथी खाने में उसने सरकारी आवास आवंटित करा लिया। यहां उसने कई मकानों पर कब्जा कर लिया। इस बीच, जिला प्रशासन ने इसी इलाके में उसके दो अवैध निर्माण तुड़वा दिए। साल 2002 में मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उससे काफी जद्दोजहद के बाद अपना एक वीआईपी परिसर खाली करवाया था। प्यारे लगभग 5 हजार वर्गफीट क्षेत्र में बने विधायक विश्राम गृह के दो भवनों में रह रहा था। कई बार नोटिस मिलने के बावजूद खाली नहीं कर रहा था। यह परिसर उसे तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा साल 1990 में एक वर्कशॉप संचालित करने के लिए अस्थाई रूप से आवंटित किया गया था। लेकिन उसने इस भवन को अपना आलीशान घर बना लिया था। सबसे पहले उसने यहां एक अंग्रेजी अखबार के दफ्तर का बोर्ड लगाया। बाद में दैनिक 'अफकार' नाम के अखबार का बोर्ड टांग लिया। यहां उसकी दो पत्नियां और उनके बच्चे रहते थे।